रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 196] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 1970/अग्रहायण 13, 1892

No. 196] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 1970/AGRAHAYANA 13, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 4th December 1970

SUBJECT.—*Import of raw materials, components and spares by actual users in the small scale sector during April 1970—March 1971—Modes of financing.*

No. 175-ITC(PN)/70.—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Public Notices No. 56-ITC(PN)/70, dated 14th April, 1970, 87-ITC(PN)/70 dated 23rd June, 1970 and 162-ITC(PN)/70, dated 3rd November, 1970 in which the modes of financing in respect of import licences for raw materials, components and spares for April 1970—March 1971 period have been announced.

2. On a review of the position it has been decided that the licensing authorities will consider requests for conversion of free foreign exchange licences into U.S. AID/Rupee Area licence. The applicants desirous of availing this facility should make request to this effect in their import applications. Requests for such conversions will be entertained within three months from the date of issue of licence.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1970

विषय:—अप्रैल, 1970–मार्च, 1971 के दौरान लघु पैमाने क्षेत्र में लगे हुए वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा कच्चे माल, संघटकों और फालतू पुर्जों का आयात– अर्थयुक्त करने की विधि ।

सं० 175-आई०टी०सी० (पी०एन०/70:—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचनाएं संख्या 56–आई टी सी (पी०एन०)/70 दिनांक 14–4–70, 87–आई०टी०सी० (पी०एन०)/70, दिनांक 23-6-70 और 162-आई टी सी (पी०एन०)/70, दिनांक 3–11–70 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिनमें अप्रैल, 1970–मार्च, 1971 की अवधि के दौरान कच्चे माल, संघटकों और फालतू पुर्जों के लिये आयात लाइसेंसों के संबन्ध में अर्थयुक्त करने की विधियों की घोषणा कर दी गई है ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने के बाद यह निश्चय किया गया है कि लाइसेंस अधिकारी स्वतंत्र विदेशी मुद्रा–विनिमय लाइसेंस का यू० एस० / रुपये क्षेत्र लाइसेंस में परिवर्तन के लिये दिये गये प्रार्थना–पत्रों पर विचार करेंगे । इस सुविधा को उपलब्ध करने के इच्छुक आवेदकों को इस सम्बन्ध में अपना अनुरोध अपने आयात आवेदन–पत्रों में करना चाहिये । इस प्रकार के परिवर्तन के लिये किये गये निवेदनों पर विचार लाइसेंस जारी होने के तीन महीने के भीतर ही किया जाएगा ।

SUBJECT.—*Initial validity period of import licences for raw-materials, components and spares etc. issued under various loans/credits—Extension of.*

CORRIGENDUM TO MINISTRY OF FOREIGN TRADE PUBLIC NOTICE NO. 29-ITC(PN)/70 DATED 9TH FEBRUARY, 1970

No. 176-ITC(PN)/70.—Attention is invited to Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 29-ITC(PN)/70 dated 9th February, 1970 and Public Notice No. 41-ITC(PN)/70 dated 4th March, 1970 as published in Gazette of India Extraordinary (Part I—Section 1).

2. The subject may be read as follows:—

"SUBJECT.—*Initial validity period of import licences for raw materials, components and sapares etc. issued under various loans/credits—extension of.*"

3. (i) The following words may be added after Para 2(i) of Public Notice No. 29-ITC(PN)/70 dated 9th February, 1970:—

"except in cases when the terminal dates of applicable foreign credits against which they are issued, necessitates a shorter validity period."

(ii) The following entry in Annexure to the Public Notice No. 29-ITC(PN)/70 dated 9th February, 1970 may be deleted:—

Public Notice No.	*Date*	*Name of the loan giving the licensing conditions.*
53/69	10-4-69	Licensing conditions relating to import of Commodities under Canadian Non-Project Loan of C $ 15.0 million.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय :—विभिन्न श्रृणों/साखों के अन्तर्गत कच्चे माल, संघटकों तथा फालतू पुर्जों आदि के आयात के लिए जारी किये गये आयात लाइसेंसों की प्रारम्भिक वैद्यता अवधि में वृद्धि

विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 29—आई०टी०सी० (पी०एन०)/70 दिनांक 9 फरवरी, 1970 के लिये शुद्धि-पत्र

176. **आई० टी० सी० (पी० एन०)/70.**—भारत के असाधारण राजपत्र के (भाग 1—खंड 1) में यथा प्रकाशित विदेश मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 29 आई०टी०सी० (पी०एन०) /70 दिनांक 9—2—70 तथा सार्वजनिक सूचना 41 आई०टी०सी० (पी०एन०)/70 दिनांक 4—3—70 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. विषय को निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए :—

"**विषय**:—विभिन्न श्रृणों/साखों के अन्तर्गत कच्चे माल, संघटकों तथा फालतू पुर्जों आदि के आयात के लिये जारी किये गये आयात लाइसेंसों की प्रारम्भिक वैद्यता अवधि में वृद्धि।"

3. (1) सार्वजनिक सूचना सं० 29—आई टी सी (पी एन) /70 दिनांक 9—2—70 की कंडिका 2(1) के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जाए :—

"ऐसे मामले के अलावा जब प्रयोज्य विदेशी श्रृणों की आखिरी तिथियों उनके प्रति जारी की जाती है उनकी थोड़ी वैद्यता अवधि की आवश्यकता होती है।"

(2) सार्वजनिक सूचना सं० 29—आई०टी०सी० (पी० एन) /70 दिनांक 9-2-70 के अनुबंध में निम्नलिखित प्रविष्ट को निकाल दिया जाए :—

सार्वजनिक सूचना सं०	तिथि	लाइसेंस शर्तों को प्रदर्शित करते हुए श्रृण का नाम
53/69	10—4—69	"कनाडा डालर 1 करोड़ 50 लाख के कनाडा गैर—प्रयोजना श्रृण के अन्तर्गत पण्य वस्तुओं के आयात से सम्बंधित लाइसेंस शर्तें।

आर जे० रबैलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात—निर्यात

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970